कार्यालय, **पुलिस अधीक्षक, जनपद-चमोली** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किंयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय,महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, जनपद-चमोली के माह 12/2014 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ए0के0श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.08.2017 से 01.09.2017 तक श्री प्रेमचन्द, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राम सनेही, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एस0के0 सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.12.2014 से 17.12.2017 तक श्री पी0सी0 श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी।जिसमें माह 09/2014 से 11/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2014 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- चमोली

(ii) (अ)विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नव्त हैः-

(रू लाख में)

| | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य +) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| 2014-15 | - | - | - | - | 2336.47 | 2336.47 | - | - |
| 2015-16 | - | - | - | - | 2554.49 | 2554.49 | - | - |
| 2016-17 | - | - | - | - | 3199.46 | 3199.46 | - | - |
| 2017-18 | - | - | - | - | 3924.02 | 1213.53 | - | 2710.49 |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त | व्यय आधिक्य(+) | बचत(-) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| ............................शून्य............................... | | | | | |

(iii)इकाई को बजट आवंटन (स्रोत-राज्य एव केन्द्र ) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, जनपद-चमोली 'ए' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक( , (आर0आई0,ना0पुं0 एवं सा0पु0), उप-निरीक्षक (ना0पुं0,सा0पु0, एम0),सहा0 उप-निरीक्षक (ना0पुं0,सा0पु0, एम0), हे0का0 , कान्स0 एवं चतुर्थ श्रेणी।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, जनपद-चमोली की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन लेखापरीक्षा को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, चमोली की लेखा परीक्षा में पाये गये

निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 05/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग-II 'अ'

**प्रस्तरः1- मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान किये गये वाहनों से रू 24.66 लाख की धनराशि कम वसूल किये जाने के कारण राजस्व की हानि।**

उत्तराखण्ड शासन द्वारा अगस्त 2016 के बिन्दु 2 के धारा 179 (i) अनुसार विधि के अनुसार दिये गये निर्देशों का पालन न करने पर मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधो पर रू 500 वाहन स्वामी से प्रशमन कर सकेगें का प्रावधान है। लेकिन ऐसा न कर निम्न थाना के प्रभारी एवं उप निरीक्षकों द्वारा रू 500 के स्थान पर 100 प्रति वाहन वसूल लिया गया है। जिसके कारण रू 24.66 लाख की कम धनराशि वसूल किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है।

| क्र0सं0 | थाना का नाम | अवधि | धारा सं0 | प्रकरणों की संख्या | चालान किये गये वाहनो से वसूल की गई धनराशि | एम वी एक्ट के अनुसार वसूल किया जाना था | कम वसूल की गई धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | गोपेश्वर | 11/8/16 से 07/17 | 179(i) | 300 | 100 | 500 | 120000 |
| 02. | पोखरी | 11/8/16 से 07/17 | 179(i) | 175 | 100 | 500 | 70000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03. | थराली | 11/8/16 से 07/17 | 179(i) | 858 | 100 | 500 | 343200 |
| 04. | चमोली | 11/8/16 से 07/17 | 179(i) | 1845 | 100 | 500 | 738000 |
| 05. | कर्णप्रयाग | 11/8/16 से 07/17 | 179(i) | 2433 | 100 | 500 | 973200 |
| 06. | जोशीमठ | 11/8/16 से 07/17 | 179(i) | 94 | 100 | 500 | 36600 |
| 07. | बद्रीनाथ | 11/8/16 से 07/17 | 179(i) | 327 | 100 | 500 | 138800 |
| 08. | गोविन्दघाट | 11/8/16 से 07/17 | 179(i) | 76 | 100 | 500 | 30400 |
| 09. | यातायात लाइन | 11/8/16 से 07/17 | 179(i) | 40 | 100 | 500 | 16000 |
| योगः | | | | | | | 2466200 |

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्पेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि वर्तमान में समस्त थानों एवं क्षेत्राधिकारियों शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुरुप कार्यवाही करने हेतु अलग निर्देश जारी किये जा रहे है।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभाग की उदासीनता के कारण शासनादेश में दिये गये धारा 179(i)के अनुसार चालान किये गये वाहनों से कम धनराशि की वसूली किया जा रहा था।

अतः मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान किये गये वाहनों से रू 27.46 लाख की धनराशि कम वसूल किया जाने से राजस्व की हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## कार्यालयः पुलिस अधीक्षक, जनपद-चमोली

**चालान किये गये वाहन से रू 400 प्रति वाहन कम वसूली की गई धनराशि का विवरण**

| क्र0सं0 | थाना का नाम | अवधि | धारा सं0 | चालान किये गये वाहन की संख्या | वसूल की गई धनराशि | एम वी एक्ट के अनुसार वसूल किया जाना था | रू 400 प्रति वाहन कम वसूल की गई धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | गोपेश्वर | 11/8/16से 07/17 | 179(i) | 300 | 100 | 500 | 120000 |
| 02 | पोखरी | 11/8/16से 7/17 | 179(i) | 175 | 100 | 500 | 70000 |
| 03 | थराली | 11/8/16से 7/17 | 179(i) | 858 | 100 | 500 | 343200 |
| 04 | चमोली | 11/8/16से 7/17 | 179(i) | 1845 | 100 | 500 | 738000 |
| 05 | कर्णप्रयाग | 11/8/16से 7/17 | 179(i) | 2433 | 100 | 500 | 973200 |
| 06 | जोशीमठ | 11/8/16से 7/17 | 179(i) | 94 | 100 | 500 | 36600 |
| 07 | बद्रीनाथ | 11/8/16से 7/17 | 179(i) | 327 | 100 | 500 | 138800 |
| 08 | गोविन्दघाट | 11/8/16से 7/17 | 179(i) | 76 | 100 | 500 | 30400 |
| 09 | यातायात लाइन | 11/8/16से 7/17 | 179(i) | 40 | 100 | 500 | 16000 |
| योगः | | | | | | | 2466000 |

**भाग-दो 'ब'**

**<u>प्रस्तरः1-</u> थाना पोखरी के प्रशासनिक भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु अनुउपर्युक्त भूमि के चयन के कारण रू 21.25 लाख की धनराशि का निष्फल व्यय किया जाना एवं रू 28.22 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था के पास विगत सात वर्षो से अवरूद्ध रखा जाना।**

उत्तराखण्ड शासन द्वारा मार्च 2010 पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना 2009-10 के अन्तर्गत जनपद चमोली में थाना पोखरी के प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु रू 70.27 लाख की धनराशि व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गई थी। इसी क्रम में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अपैल 2010 में स्वीकृत धनराशि में से 10 प्रतिशत रोकते हुए अवशेष धनराशि रू 6324300/ बैक ड्राफट संख्या 798537 दिनांक 31.03.2010 को संलग्न कर अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग पोखरी चमोली को प्रेषित कर दिया गया। साथ ही साथ कार्यदायी संस्था से एम ओ यू कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा जून 2011 तक एम ओ यू नही किया गया था।

कार्यालय के निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया है कि थाना पोखरी के प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु उक्त भूमि के अतिरिक्त पोखरी में पुलिस विभाग के नाम अन्य कोई भूमि दर्ज नही है। उक्त भूमि पर ही थाना भवन का निर्माण किया जाना है। अपके भू-वैज्ञानिक द्वारा उक्त भूमि का निरीक्षण दिनांक 08.07.2011 को किया गया था। जिसमें उक्त भूमि को अनुपयुक्त पाया गया। जबकि भूमि को वर्ष 2008 एवं वर्ष 2010 में भूसर्वेक्षण किया गया है। जिसमें भूमि को भवन निर्माण हेतु उपर्युक्त पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा जुलाई 2011 में पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय देहरादून को यह अवगत कराया था कि थाने के प्रशासनिक भवन को निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग को विगत वर्ष में स्वीकृत हुआ था। लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया था कि चयनित स्थल निर्माण हेतु अनुपर्युक्त है, भविष्य मे स्थल के पास भूस्खलन एवं भूमि -धसाव होने की सम्भावना है। जोकि भवन के लिये सुरक्षा की दृष्टि से उचित नही है व भवन निर्माण हेतु अन्य स्थल को चयनित करने हेतु अवगत कराया है।

थाना पोखरी के पत्र दिनांक 20.01.2014 द्वारा यह अवगत कराया था कि अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नही किया गया है। इसी के तारतम्य में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग पोखरी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2013 मे पुलिस थाना कार्यालय भवन हेतु स्थल का विकास कार्य लगभग पूर्ण कर दिया गया था। किन्तु वर्ष 2013 मे भारी वर्षा के कारण कार्य स्थल पर अत्यधिक मात्रा में मलवा आ गया था जिस कारण ठेकेदार द्वारा जिन दीवारों का निर्माण कार्य किया गया था, पूर्ण रूप क्षतिग्रस्त हो गयी थी। कार्य स्थल पर अत्यधिक मलवा आने एवं सुरक्षा दीवार के क्षतिग्रस्त होने के कारण ठेकेदार ने भवन निर्माण में असमर्थता व्यक्त की है। वर्तमान में कार्य स्थल से मलवा हटाये जाने एवं दीवारो के निर्माण कार्य करने के पश्चात ही मुख्य भवन का कार्य करना सम्भव हो पायेगा। मलवा का निस्तारण एवं सुरक्षा दीवार की निर्माण कार्य कराये जाने हेतु रू 35.34 लाख का प्राक्कलन प्रेषित किया गया था। परन्तु अभी तक स्वीकृत अप्राप्त है। जबकि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक 20.03.2015 थी। कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक 19.08.2016 थी।

आगे जांच में यह भी पाया गया है कि सात वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी केवल समतलीयकरण कार्य कार्य पूर्ण हो पाया है, तथा बुनियाद का कार्य चल रहा है। वर्तमान तक केवल रू 21.25 लाख धनराशि ही व्यय किया गया था। अवशेष धनराशि रू 28.22 लाख कार्यदायी संस्था के पास अवरूद्ध था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्पेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि समस्त बिन्दुओं के उत्तर कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर अवगत कराया जायेगा। उत्तर मान्य नही है

क्योंकि वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक द्वारा निर्माण के लिए अनुपर्युक्त पाये जाने के बाद भी उसी स्थान पर पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाने का औचित्य प्रतीत नही होता है।

अतः थाना पोखरी के प्रशासनिक भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु अनुउपर्युक्त भूमि के चयन के कारण रू 21.25 लाख की धनराशि का निष्फल व्यय किया जाना एवं रू 28.22 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था के पास विगत सात वर्षो से अवरूद्ध रखा जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-दो 'ब'**

**<u>प्रस्तरः3-</u> रू 25.06 लाख की यातायात व्यवस्था एवं चारधाम यात्रा हेतु सामग्री का अनियमित क्रय किया जाना।**

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2015 के प्रस्तर 12 (1) के अनुसार रू 3 लाख से रू 60 लाख तक की सामग्री का क्रय सीमित निविदा प्रकिया अपनाकर क्रय किये जाने का प्रावधान है।

अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून के पत्र डीजी-तीन-गोष्ठी/2017 दिनांक 18 जनवरी 2017 को पुलिस यातायात के सुदृढीकरण हेतु रू 6 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त कर दी गई थी। जिसके सापेक्ष रू 6 लाख की धनराशि व्यय कर दी गई है।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 527xx-8/16-12(11) 2016 दिनांक 25 मई 2016 द्वारा चारधाम यात्रा में तैनात पुलिस कर्मियों की भोजन व्यवस्था, यात्रा व्यय एवं अन्य तात्कालिन कार्यो की व्यवस्था पर व्यय हेतु जनपद-चमोली के लिए रू 25 लाख की धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत प्रदान की गई थी। अवमुक्त धनराशि का व्यय कर दिया गया था।

कार्यालय के यातायात व्यवस्था सुदृढीकरण क्रय पत्रावली की जांच में पाया गया है कि यातायात के सुदृढीकरण हेतु सामग्रियों का क्रय बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये ही मात्र कोटेशन के आधार पर रू 6.00 लाख एवं चारधाम यात्रा हेतु अवमुक्त धनराशि रू 25.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू 19.06 लाख की धनराशि व्यय कर दिया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्पेक्षा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि 25 लाख का व्यय एक दुकान एवं फर्म से नही किया गया है। उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभाग द्वारा क्रय प्रणाली में निविदा प्रक्रिया का पालन न कर कोटेशन के आधार पर टुकडें-2 में क्रय किया गया है। जो कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन किया गया है।

अतः रू 25.06 लाख की यातायात व्यवस्था एवं चारधाम यात्रा हेतु सामग्री का अनियमित क्रय किये जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-दो 'ब'**

**प्रस्तर-4- मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत संयोजन शुल्क से प्राप्त राजस्व रू 3.46 लाख की धनराशि को विलम्ब से राजकोष में जमा कराया जाना।**

पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड, मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या- डीजी-याता0प्र0-74/2016 द्वारा समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड को 'मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन पर सयोजन शुल्क से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करने की वर्तमान प्रचलित एवं सयोंजन शुल्क की प्रयोग में लाई गयी पुस्तकों के रख-रखाव' के सम्बंध में निर्देशित किया गया था कि-मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उ0एस0नगर में संयोजन शुल्क से प्राप्त धनराशि को प्रति-दिन एवं शेष जनपदों में उक्त धनराशि सप्ताह में एक बार (मंगलवार) को राजकोष में जमा कराया जायें। प्रत्येक जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा संयोजन शुल्क पुस्तिका वितरण, रख-रखाव, संयोजन शुल्क धनराशि को समय से जमा कराने तथा जमा धनराशि का मिलान प्रत्येक तीन माह(जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर)/तिमाही में ऑडिट कराया जाये।

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, जनपद-चमोली द्वारा बैंक के माध्यम से राजकोष में जमा करायें गये चालान फर्मों एवं उनके साथ सलंग्न जनपद के विभिन्न थानों द्वारा प्रत्येक दिन किये गये चालानों का तिथि-मय विवरणों की जांच में पाया गया कि जनपद के विभिन्न थानों एवं कोतवालियों से माह मई, 2017 में प्राप्त रू 2.20 लाख(संलग्न परिशिष्ट 'अ') की नगद धनराशि को 14-दिनों से 68- दिनों तक तथा माह मार्च, 2017 में प्राप्त रू 1.26 लाख (संलग्न परिशिष्ट 'ब') की नगद धनराशि को 20-दिनों से 45-दिनों तक अर्थात उक्त दोनों माहों की कुल प्राप्ति रू 3.46 लाख की नगद धनराशि को 14-दिनों से 68-दिनों के विलम्ब/देरी से कार्यालय मे जमा करायी जा रही थी, जबकि मुख्यालय के निर्देशानुसार संयोजन शुल्क से प्राप्त राजस्व की धनराशि को साप्ताहिक जनपद के प्रश्नगत थानों से प्राप्त करके उक्त चालानों के माध्यम से राजकोष में जमा करायी जानी चाहिए थी। जिसके परिणामस्वरूप कार्यालय द्वारा न केवल मुख्यालय के निर्देशों का बल्कि सी0जी0ए0(प्राप्तियां एवं भुगतान)नियमावली 1983 के नियम-18 का भी उंलघन्न किया गया था।

लेखापरीक्षा परीक्षा द्वारा आपत्ति को इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि मुख्यालय के निर्देश जनपद में प्राप्त न होने के कारण अनुपालन नहीं किया गया था भविष्य में आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## परिशिष्ट-’अ’

| माहः- मई, 2017 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र0 स0 | थाने का नाम | अवधि | संयोजन शुल्क जमा करने की तिथि | दिवसों की संख्या | कुल प्रकरणों की संख्या | धनराशि |
| 1 | गोपेश्वर | 13.03.2017 से 20.05.2017 | 29.05.2017 | 68 | 76 | 14000 |
| 2 | कोतवाली श्री बद्रीनाथ | 15.05.2017 से 21.05.2017 | 29.05.2017 | 14 | 24 | 6100 |
| 3 | कोतवाली चमोली | 14.05.2017 से 20.05.2017 | 29.05.2017 | 14 | 128 | 22200 |
| 4 | गोविन्द घाट | 14.05.2017 से 18.05.2017 | 29.05.2017 | 14 | 25 | 5200 |
| 5 | थराली | 09.05.2017 से 19.05.2017 | 29.05.2017 | 19 | 35 | 3800 |
| 6 | कोतवाली कर्णप्रयाग | 15.05.2017 से 21.05.2017 | 29.05.2017 | 14 | 81 | 9200 |
| 7 | जोशीमठ | 15.05.2017 से 21.05.2017 | 29.05.2017 | 14 | 28 | 2800 |
| 8 | पुलिस लाईन गोपेश्वर | 16.05.2017 से 16.05.2017 | 29.05.2017 | 13 | 13 | 2200 |
| 9 | कोतवाली चमोली | 09.04.2017 से 22.04.2017 | 11.05.2017 | 31 | 92 | 9300 |
| 10 | थराली | 12.04.2017 से 22.04.2017 | 11.05.2017 | 28 | 16 | 2200 |
| 11 | कोतवाली कर्णप्रयाग | 08.04.2017 से 15.04.2017 | 11.05.2017 | 32 | 79 | 8100 |
| 12 | गोपेश्वर | 10.04.2017 से 16.04.2017 | 11.05.2017 | 30 | 61 | 6400 |
| 13 | थराली | 06.04.2017 से 15.04.2017 | 11.05.2017 | 34 | 44 | 7500 |
| 14 | जोशीमठ | 18.04.2017 से 22.04.2017 | 11.05.2017 | 22 | 11 | 1200 |
| 15 | कोतवाली जोशीमठ | 10.04.2017 से 15.04.2017 | 11.05.2017 | 30 | 25 | 2500 |
| 16 | गोविन्दघाट | 18.04.2017 से 20.04.2017 | 11.05.2017 | 22 | 13 | 2300 |
| 17 | थराली | 18.04.2017 से 27.04.2017 | 11.05.2017 | 22 | 15 | 1700 |
| 18 | गोविन्दघाट | 24.04.2017 से 28.04.2017 | 11.05.2017 | 16 | 14 | 2400 |
| 19 | कोतवाली चमोली | 23.04.2017 से 29.04.2017 | 11.05.2017 | 17 | 107 | 14500 |
| 20 | पोखरी | 14.04.2017 से 28.04.2017 | 11.05.2017 | 26 | 47 | 5600 |
| 21 | जोशीमठ | 25.04.2017 से 29.04.2017 | 11.05.2017 | 15 | 10 | 1000 |
| 22 | गोपेश्वर | 17.04.2017 से 23.04.2017 | 11.05.2017 | 23 | 86 | 12350 |
| 23 | कोतवाली कर्णप्रयाग | 14.04.2017 से 23.04.2017 | 11.05.2017 | 26 | 200 | 23200 |
| 24 | गोपेश्वर | 24.04.2017 से 30.04.2017 | 11.05.2017 | 16 | 77 | 11000 |
| 25 | थराली | 07.05.2017 से 10.05.2017 | 22.05.2017 | 15 | 28 | 2900 |
| 26 | कोतवाली कर्णप्रयाग | 27.04.2017 से 07.05.2017 | 22.05.2017 | 25 | 70 | 7700 |
| 27 | गैरसैंण | 11.04.2017 से 11.05.2017 | 22.05.2017 | 30 | 45 | 4500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | थराली | 24.04.2017 से 30.04.2017 | 22.05.2017 | 28 | 30 | 3300 |
| 29 | पोखरी | 01.05.2017 से 07.05.2017 | 22.05.2017 | 21 | 16 | 1900 |
| 30 | कोतवाली चमोली | 07.05.2017 से 12.05.2017 | 22.05.2017 | 15 | 103 | 15000 |
| 31 | जोशीमठ | 02.05.2017 से 07.05.2017 | 22.05.2017 | 20 | 28 | 3300 |
| 32 | गोपेश्वर | 01.05.2017 से 07.05.2017 | 22.05.2017 | 21 | 33 | 4950 |
| | | **योग** | | | | **220300** |

## परिशिष्ट-'ब'

| माहः- मार्च, 2017 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्0 स0 | थाने का नाम | अवधि | संयोजन शुल्क जमा करने की तिथि | दिवसों की संख्या | कुल प्रकरणों की संख्या | धनराशि |
| 1 | कोतवाली चमोली | 19.02.2017 से 04.03.2017 | 23.03.2017 | 31 | 257 | 25900 |
| 2 | गोविन्दघाट | 22.02.2017 से 24.02.2017 | 23.03.2017 | 28 | 9 | 1200 |
| 3 | कोतवाली जोशीमठ | 03.03.2017 से 05.03.2017 | 23.03.2017 | 20 | 16 | 1600 |
| 4 | गोपेश्वर | 20.02.2017 से 26.02.2017 | 23.03.2017 | 30 | 75 | 8100 |
| 5 | थराली | 06.02.2017 से 26.02.2017 | 23.03.2017 | 44 | 61 | 8800 |
| 6 | कोतवाली जोशीमठ | 21.02.2017 से 26.02.2017 | 23.03.2017 | 29 | 38 | 4900 |
| 7 | क्sतवाली कर्णप्रयाग | 18.02.2017 से 02.03.2017 | 23.03.2017 | 32 | 268 | 28850 |
| 8 | गोपेश्वर | 27.02.2017 से 05.03.2017 | 23.03.2017 | 23 | 92 | 11150 |
| 9 | गैरसैंण | 22.01.2017 से 26.01.2017 | 23.03.2017 | 28 | 29 | 4500 |
| 10 | कोतवाली चमोली | 19.02.2017 से 26.02.2017 | 23.03.2017 | 31 | 18 | 4500 |
| 11 | थराली | 26.02.2017 से 03.03.2017 | 23.03.2017 | 24 | 33 | 5100 |
| 12 | कोतवाली चमोली | 05.02.2017 से 18.02.2017 | 23.03.2017 | 45 | 191 | 21100 |
| | | **योग** | | | | **125700** |

## STAN

**प्रस्तरः1- विभाग को संयोजन शुल्क से प्राप्त राजस्व के प्रति उदासीनता का प्रकरण।**

पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड, मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून, दिनांकः जून 24,2016 के पत्र संख्या- डीजी-याता0प्र0-74/2016 द्वारा समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड को 'मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन पर सयोजन शुल्क से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करने की वर्तमान प्रचलित एवं सयोंजन शुल्क की प्रयोग में लाई गयी पुस्तकों के रख-रखाव' के सम्बंध में निर्देशित किया गया था कि- प्रत्येक जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा संयोजन शुल्क पुस्तिका वितरण, रख-रखाव, संयोजन शुल्क धनराशि को समय से जमा कराने तथा जमा धनराशि का मिलान प्रत्येक तीन माह(जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर)/ में कराये। तथा अपर पुलिस अधीक्षक/ उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा की गई त्रैमासिक सम्प्रेक्षा का विस्तृत विवरण सम्बंधित जनपद प्रभारी पुलिस अधीक्षकों को दी जायें। समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा जमा की गयी संयोजन शुल्क धनराशि की छः माह की सूचना पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करे।

कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-चमोली के संयोजन शुल्क पुस्तिका वितरण एवं वापसी पंजिका की जांच में पाया गया कि माह मार्च, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक जनपद के विभिन्न थानों एवं कोतवालियों को वितरित की गयी संयोजन शुल्क पुस्तिकाओं में से 16-संयोजन शुल्क पुस्तिका एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी जनपद के संदर्भित थानों द्वारा उक्त पुस्तिकाए(तृतीय प्रति) जनपद कार्यालय में उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। विवरण संलग्नक (परिशिष्ट- **'अ')।** इसी प्रकार उक्त पंजिकाओं के अवलोकन में यह भी पाया गया कि पंजिकाओं में अगस्त,2012 से जून, 2016 तक कार्यालय द्वारा विभिन्न थानों को वितरित की गयी संयोजन पुस्तिकओं का सदर्भित पंजिका में स्तम्भबद्ध ढ़ग से प्रविष्टियां दर्ज न करने के कारण यह ज्ञात नहीं हो पाया कि कुल जारी पुस्तिकाओं में कौन-सी पुस्तिका वापस कार्यालय को प्राप्त हुयी थी तथा कौन-सी पुस्तिका वापसी हेतु जनपद के विभिन्न थानों पर लम्बित थी साथ ही संदर्भित पंजिका के किसी भी पृष्ठ पर कार्यालय द्वारा जनपद के थानों से पुरानी पुस्तिकाओं की वापसी का विवरण तथा रख-रखाव से सम्बंधित लेखाबन्दी या मासिक सार नहीं बनाया गया था। जिसके परिणामस्वरूप जनपद के सदर्भित थानों में पुरानी संयोजन शुल्क पुस्तिकाए विगत एक वर्ष से अधिक समय से वापसी हेतु लम्बित पड़ी थी। जबकि कई थानों द्वारा कार्यालय से पुरानी संयोजन शुल्क पुस्तिकाए वापसी किये बिना नई पुस्तिकाए निरन्तर प्राप्त कर रहे थे जबकि संयोजन शुल्क पुस्तिकाए विभाग में राजस्व का एक प्रारम्भिक/मुख्य अभिलेख है।

लेखापरीक्षा परीक्षा द्वारा आपत्ति को इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा। विभाग के उत्तर से 'राजस्व प्राप्ति' के प्रति विभागीय लापरवाई स्पष्ट होती है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**परिशिष्ट- 'अ'**

| वापसी न हुई संयोजन शुल्क पुस्तिकाओं का विवरणः माह मार्च, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र0 स0 | संयोजन शुल्क वितरण पंजिका का पृष्ठ संख्या | संयोजन शुल्क पंजिका संख्या। | थानों का नाम(जिसको पुस्तिका जारी की गयी है) | तिथि (जिस तिथि को प्राप्तकर्ता ने पुस्तिका प्राप्त की है) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 501 से 550 | थाना-चमोली | 31.03.2016 |
| 2 | 06 | 551 से 600 | थराली | 01.04.2016 |
| 3 | 06+ | 601 से 650 | पी0एस0सी0एम0आई0 | 04.04.2016 |
| 4 | 06 | 651 से 700 | पी0एस0जी0एस0एन0 | 12.04.2016 |
| 5 | 06 | 701 से 750 | पी0एस0पी0के0आई0 | 21.04.2016 |
| 6 | 07 | 751 से 800 | पी0एस0सी0एम0आई0 | 27.04.2016 |
| 7 | 07 | 801 से 850 | मेहलचौरी | 29.04.2016 |
| 8 | पंजिका का क्र0स0-402 | 512901 से 512950 | थराली | 15.07.2016 |
| 9 | पंजिका का क्र0स0-404 | 798101 से 798150 | दिगम्बर सिंह उनियाल | 15.07.2016 |
| 10 | पंजिका का क्र0स0-405 | 512501 से 512550 | गौचर | 15.07.2016 |
| 11 | पंजिका का क्र0स0-408 | 512601 से 512700 | कोतवाली कर्णप्रयाग | 19.07.2016 |
| 12 | पंजिका का क्र0स0-410 | 221551 से 221600 | कोतवाली कर्णप्रयाग | 23.07.2016 |
| 13 | पंजिका का क्र0स0-411 | 798401 से 798450 | कोतवाली कर्णप्रयाग | 26.07.2016 |
| 14 | पंजिका का क्र0स0-413 | 507501 से 507550 | एस0ओ0 कर्णप्रयाग | 29.07.2016 |
| 15 | पंजिका का क्र0स0-414 | 507551 से 597600 | चौकी बाजार | 29.07.2016 |
| 16 | पंजिका का क्र0स0-415 | 797951 से 798000 | गौचर | 29.07.2016 |

## STAN

**प्रस्तर:2-- स्वीकृत नियतन से अधिक अधिकारी/कर्मचारियों का कार्यरत रहने का प्रकरण।**

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, जनपद-चमोली के अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वीकृत नियतन से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 12- अधिकारी/कर्मचारी स्वीकृत नियतन के सापेक्ष अधिक कार्यरत/उपलब्ध है, जिसका विवरण निम्नवत है-

| क्र.स. | पदनाम | स्वीकृत नियतन | उपलब्धता | अधिकता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कान्स0 (एम0) प्रधान लिपिक/आंकिक कार्यालय | 01 | 03 | 02 |
| 2 | अस्थायी चालक | 00 | 02 | 02 |
| 3 | बम डिस्पोजल कान्स0 | 00 | 05 | 05 |
| 4 | श्वान दल कान्स0 | 00 | 02 | 02 |
| 5 | श्वान दल चतुर्थ श्रेणी | 00 | 01 | 01 |
| | **योग** | **01** | **13** | **12** |

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त आपत्ति के सम्बंध में इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि

उक्त नियुक्ति पुलिस मुख्यालय स्तर से विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ/हेमकुन्ड+ साहिब एवं जनपद में आने वाले विभिन्न महानुभावों की सुरक्षा हेतु नियुक्त किये गये है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि इकाई को उक्त उपलब्ध पदों पर अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों की

आवश्यकता थी तो स्वीकृत नियतन को विधिवत मुख्यालय/ शासन से संशोधित करवाया जाना चाहिए था जोकि की इकाई द्वारा न तो मुख्यालय को अवगत करवाया है न ही संशोधन हेतु कोई भी उच्चाधिकारियों से पत्राचार किया गया था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## STAN

**प्रस्तर:3- स्वीकृत नियतन से अधिक वाहन रखे जाने का प्रकरण।**

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, जनपद-चमोली के अधीन परिवहन- शाखा के वाहनों का स्वीकृत नियतन से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि स्वीकृत नियतन 31-वाहनों के सापेक्ष कार्यालय में निम्नलिखित कुल 48- वाहन उपलब्ध है अर्थात स्वीकृत नियतन से कुल 17- वाहन अधिक उपलब्ध है। विवरण निम्नवत है-

| क्र0स0 | वाहन का नाम प्रकार | स्वीकृत नियतन | उपलब्ध | अधिक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हल्का वाहन कार सहित | 01 | 02 | 01 |
| 2 | इन्टर सैफटर | 00 | 01 | 01 |
| 3 | एम्बेसडर कार | 00 | 01 | 01 |
| 4 | भारी वाहन 32 सीटर बस | 00 | 01 | 01 |
| 5 | भारी वाहन ट्रक | 01 | 02 | 01 |
| 6 | प्रीजन वाहन बड़ा एवं छोटा | 02 | 04 | 02 |
| 7 | केन बड़ा एवं छोटा | 01 | 02 | 01 |
| 8 | मोटर साईकिल | 00 | 08 | 08 |
| 9 | एम्बुलेंस | 01 | 02 | 01 |
| | **योग** | **06** | **23** | **17** |

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्पेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में कहा है कि कुछ वाहन जैसेः क्रेन एवं एम्बुलेंस भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवायें गये थे तथा स्वीकृत नियतन के संशोधन हेतु मुख्यालय से पत्राचार किया जायेगा।

अतः स्वीकृत वाहन से अधिक वाहन रहने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या | STAN |
|---|---|---|---|
| 43/2011-12 | - | प्रस्तरः2- पुनरीक्षित आगणन रू 94.45 लाख स्वीकृत होने के डेढ़ वर्ष बाद भी निर्माण कार्य अपूर्ण।<br>प्रस्तरः4- इन्डो नेपाल बार्डर डिस्ट्रीक हेतु क्रय वाहन के अनुपयोग रहने से रू 11.64 लाख को निष्फल व्यय।<br>प्रस्तरः6- धनराशि रू 90.81 लाखा का अवरोधन। | – |
| 27/2014-15 | - | प्रस्तरः1- 46.07 लाख की धनराशि विगत 7 वर्षों से निर्माण इकाई के पास अवरूद्ध रखा जाना। | - |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 43/2011-12 | | प्रस्तुत | निस्तारित करने हेतु संस्तुति की गई है। | |
| 27/2014-15 | | अप्रस्तुत | अप्रस्तुत | |

## भाग-IV

**इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य**

## भाग-V

## आभार

1- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **पुलिस अधीक्षक, जनपद- चमोली** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-**शून्य**

2- सतत् अनियमिततायेः- **शून्य**

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

| क्र.सं. | नाम | पदनाम | कार्यरत समय अवधि | |
|---|---|---|---|---|
| | | | कब से | कब तक |
| 1 | सुश्री पी. रेणुका देवी | एस0पी0 (आई0पी0एस0) | 21.04.2012 | 15.06.2013 |
| 2 | श्री अजय जोशी | एस0पी0 (आई0पी0एस0) | 15.06.2013 | 29.01.2014 |
| 3 | श्री सुनील कुमार मीणा | एस0पी0 (आई0पी0एस0) | 30.01.2014 | 09.02.2016 |
| 4 | श्रीमती प्रीती प्रियदर्शनी | एस0पी0 (आई0पी0एस0) | 10.03.2016 | 07.04.2017 |
| 5. | सुश्री तृप्ति भट्ट | एस0पी0 (आई0पी0एस0) | 08.04.2017 | अब तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, **पुलिस अधीक्षक, जनपद-चमोली** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र